भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछ्वाल, बीकानेर - 334006

===

पत्रावली क्रमांक:07(ii)01/CS/Auction/2023-24/ 1383 दिनांक: 27.06.2023

सेवामें,

श्रीमान हनुमान सिंह पुत्र श्री सवाई सिह,
गांव बीछवाल,
बीकानेर–334006

विषय:- संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र में खजूर के लगभग 300 वृक्षों के फलों की नीलामी खुली नीलामी अनुबंध बाबत ।

संदर्भ:1. संस्थान की नीलामी सूचना दिनांक 14.06.2023
2. आपके द्वारा लगायी गयी बोली दिनांक 27.06.2023

महोदय,

उपरोकत विषय के संदर्भ में लेख है कि संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा फार्म प्रक्षेत्र में में लगभग 300 वृक्षों पर लगें खजूर के फलों की खुली नीलामी हेतु आप द्वारा लगाई गयी अधिकतम बोली 100100.00 को निम्न नियम व शर्तो अनुसार स्वीकार कर लिया गया है। बोली की 100 प्रतिशत राशि आप द्वारा टीआर कमांक 937 दिनांक 27.06.2023 एवं बयाना राशि रु. 5000.00 टीआर कमांक 936 दिनांक 27.06.2023 के द्वारा जमा करवा दिया है। अतः नियम व शर्तो के अनुसार संस्थान के प्रभारी फार्म एवं प्रभारी खजूर प्रखण्ड से सम्पर्क स्थापित करते हुये कार्य इस पत्र के जारी करने की तिथि से दिनांक 15.08.2023 तक पूर्ण कर लेवें।

1. यह नीलामी अहस्तान्तरणीय है अर्थात् जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटी है, वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति को फल तोड़ने का ठेका नहीं दे सकेगा।
2. खजूर के फलों को तोड़ने की अनुमति प्रभारी फार्म अथवा खजूर प्रखण्ड प्रभारी, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर से लेनी होगी। प्रत्येक किस्म के चिन्हित (टेग लगे) पेड़ों की तुड़ाई से पूर्व अनुमति प्रभारी फार्म/खजूर प्रखण्ड प्रभारी, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर से लेनी होगी। जिससे अनुसंधान कार्य में कोई बाधा न पहुँचें।
3. फलों की रखवाली की जिम्मेदारी नीलामी छूटने के बाद से दिनांक 15.08.2023 तक या इससे पूर्व फलों की तुड़ाई तक जो भी पहले हो ठेकेदार की होंगी। इसके बाद ठेकेदार का कोई हक खजूर के बगीचे में नहीं होगा। तुड़ाई, परिवहन व विक्रय सम्बन्धी समस्त कार्य ठेकेदार का ही होगा। विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. प्रत्येक किस्म के 500 ग्राम फल ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर को अनुसंधान कार्य हेतु देना होगा। जिसके लिए संस्थान द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।
5. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि फलों की तुड़ाई के समय वृक्षों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचे जैसे फलों के गुच्छों को काटते समय पौधे की पत्तिया नहीं काटे साथ ही खजूर के वृक्षों पर किये जाने वाले प्रयोगों को न तो किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जायेगी और न ही किसी प्रकार की रूकावट पैदा की जायेगी। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसका हर्जाना ठेकेदार से वसूल किया जायेगा।
6. नीलामी में बताये गये फलों के पौधों के अलावा दूसरे अन्य पेड़ों पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।
7. वृक्षों पर किसी भी तरह की दवा छिड़कने व अन्य कार्यों पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।

8. खजूर के बगीचे में इस समय लोहे/नॉन वुअन की जालियां लगी है, जिनकी गिनती मौके पर कराकर, फलों की तुड़ाई से पूर्व इन जालियों की पावती/रसीद ले ली जायेगी। खजूर फल तुड़ाई के साथ–साथ यह जालियां उतार कर सही अवस्था में विभाग में जमा करानी होगी, अन्यथा इनकी रकम ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

9. फल तोड़ने का समय प्रातः 08:00 बजे से सायंकाल 05:00 बजे तक रहेगा। फलों को बाहर ले जाने का अनुमति पत्र (गेट–पास) प्रभारी अधिकारी से लेना होगा, तत्पश्चात् ही सूरक्षा अधिकारी (प्रहरी) गेट से फलों को ले जाने देगा।

10. प्राकृतिक आपदा (वर्षा, आँधी, तूफान आदि) एवं अन्य किसी प्रकार से फलों को नुकसान होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

11. सभी प्रकार के कर [GST/I.T.] के भुगतान की जिम्मेदारी आपकी की होगी, संस्थान द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा।

12. रविवार अवकाश में खजूर फल तोड़ने एवं संस्थान से बाहर ले जाने पर रोक रहेगी।

यह संस्थान के सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया गया है।

27/6/23

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. प्रभारी फार्म, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. वित एवं लेखा अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
4. प्रभारी सुरक्षा, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
5. सतर्कता अधिकारी, भाकृअनुप-केबापसके, वेजलपुर ।
6. सूचना पट्ट, कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
7. सूचना पट्ट, प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर|
8. प्रभारी ए.के.एम.यू.–संस्थान की वेबसाईट हेतु।